



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 आश्विन 1945 (श10)
(सं0 पटना 808) पटना, वृहस्पतिवार, 5 अक्टूबर 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
5 अक्टूबर 2023

एस०ओ० 263 दिनांक 5 अक्टूबर, 2023—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 158क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर,"लेखा संकलक" को ऐसे तंत्र के रूप में अधिसूचित करते हैं जिससे बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 158क के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल द्वारा सूचना साझी की जा सकेगी।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त होगी।

स्पष्टीकरण: -इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए," लेखा संकलक" से कोई ऐसी गैर-वित्तीय बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 (1934 ,का 2) की धारा45 जक के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी पॉलीसी निदेशों के अनुसार किसी लेखा संकलक का कारबार करती है और गैर बैंककारी वित्तीय कंपनी -लेखा संकलक (रिजर्व बैंक)निदेश 2016 ,में यथा परिभाषित है।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-16) 3547)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

5 अक्टूबर 2023

एस०ओ० 263 दिनांक 5 अक्टूबर, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-16) 3547)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 5th October 2023

S.O. 263 Date 5 October 2023—In exercise of the powers conferred by section 158A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies "Account Aggregator" as the systems with which information may be shared by the common portal based on consent under Section 158A of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017).

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of October, 2023.

Explanation: For the purpose of this notification, "Account Aggregator" means a non-financial banking company which undertakes the business of an Account Aggregator in accordance with the policy directions issued by the Reserve Bank of India under section 45JA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and defined as such in the Non-Banking Financial Company - Account Aggregator (Reserve Bank) Directions, 2016.

[(File No. Bikrikar/GST/vividh-21/2017 (Part-16)3547)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 808-571+10-डी०टी०पी०

Website: <http://egazette.bih.nic.in>